

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0श्वेता सोनी पुत्री संतोष कुमार सोनी  
अनुक्रमांक 103712828  
निवासी: ग्रा0 पो0 मंसूराबाद थाना नवाबगंज  
जनपद प्रयागराज 228411

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रुबी मावी पुत्री जयकरन सिंह मावी  
अनुक्रमांक 130737394  
निवासी: बी-01/388 गली नं० 14 पो० नन्दनगरी थाना हर्ष बिहार  
जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली 110093

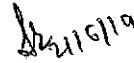
विषय:- उपनिरीक्षक ना०पु०(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि०-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना०पु० के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई०डी० एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि० पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0मौसम रानी पुत्री मुकेश कुमार  
अनुक्रमांक 230738815  
निवासी: ग्रा0 भैसाखुर वि0ख0 व थाना बी0बी0 नगर  
जिला बुलन्दशहर 203402

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण दृष्टियों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रश्मि देवी पुत्री गुलबीर सिंह  
अनुक्रमांक 355778659  
निवासी: ग्रा0 जमालपुर पो0 लावड़ थाना इन्चौली  
जिला: मेरठ 250222

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रा0नि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

अजुम आरा पुत्र मुनीर खान

अनुक्रमांक 243757793

निवासी: जी-03 म0न0 02 गली न0 01 सई इन्क्लेव मोहन गार्डन उत्तम नगर

जनपद उत्तरी दक्षिण नई दिल्ली 110059

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

काजल पुत्री दिनेश कुमार  
अनुक्रमांक 355780892  
निवासी: ग्र0 व पो0 फकरपुर थाना खेकड़ा  
जिला बागपत 250101

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

नीलम सिंह पुत्री शिव कुमार सिंह  
अनुक्रमांक: 130734970  
निवासी: सी 174 यमुनापुरम भूड थाना कोतवाली देहात  
जिला बुलन्दशहर 203001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कुमारी आशा शर्मा पुत्री भोजराम शर्मा  
अनुक्रमांक 349764668  
निवासी: म0न0 368 बॉकनेर नरेला  
जनपद उत्तरी दक्षिण दिल्ली 110040

**विषय:-** उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/06/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**



**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रेनू रानी पुत्री महताब  
अनुक्रमांक 349764992  
निवासी: ग्रा0 व पो0 अजायब थाना महम  
जिला रोहतक (हरियाणा ) 124111

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

अंजली कश्यप पुत्री राजेश कुमार  
अनुक्रमांक: 243755831  
निवासी: 01/293 -0 सर्वोदयनगर पो0 व थाना गंगाघाट  
जिला उन्नाव 209861

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

रिमझिम सिंह पुत्री नौरंग बहादुर  
अनुक्रमांक: 143754845  
निवासी: गां0 व पो0 गुलरिहा थाना मौरावा मह0 पुरवा  
जिला उन्नाव 209821

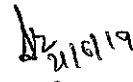
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

प्रतिभा कुस्वाहा पुत्री बाबू शंकर कुस्वाहा  
अनुक्रमांक: 243756171  
निवासी: गाँव व पो0 देवारा कला थाना गंगाघाट  
जिला उन्नाव 209861

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मैस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

24/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

ज्योति देवी पुत्री राजकुमार  
अनुक्रमांक: 243756429  
निवासी: गाँव व पो0 बेहटा भवानी थाना बीघापुर  
जिला उन्नाव 209865

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0 रेशु पुत्री अशोक कुमार  
अनुक्रमांक 201700450  
निवासी: ग्र0 व पो0 एलम मो0 पूर्वी आजादनगर थाना काँधला  
जनपद शामली 247771

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0 संदीपा पुत्री देशपाल सिंह  
अनुक्रमांक 301700512  
निवासी: ग्र0 लॉक पट्टी मोघा थाना शामली  
जनपद शामली 247776

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0पिकी पुत्री हरपाल सिंह  
अनुक्रमांक 301700476  
निवासी: बन्टीखेडा थाना बादरी  
जनपद शामली 251305

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा मोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्त का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी को आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(30नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

आस्था गुप्ता पुत्री राजा राम गुप्ता  
अनुक्रमांक 203724993  
निवासी: हैदर गंज बिहकह उर्फ पुरामुपती पो0 मनौरी  
जनपद प्रयागराज 212208

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखा में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर** परिलेख गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टव्यगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, भैरठ** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई छिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनन्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अविलम्व दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज  
पत्र संख्या:- पॉव-111(उनि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

प्रतिमा सिंह पुत्री रामझान सिंह  
अनुक्रमांक: 175787373  
निवासी: ग्र0 सहवा पो0 पड़ौली थाना रामपुर काछाना  
जिला0 देवरिया 274001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचारणीय रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम राज0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखा की संवीक्षा व धारित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान से दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आवामन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में से एडवांस, पहचान के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित करारकर तथा नोटरी से सत्यापित करारकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान से निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टूडेंट्स पत्र प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में भानगीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/55/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

27/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

खुशबू यादव पुत्री अनिरुद्ध यादव  
अनुक्रमांक: 333739703  
निवासी: ग्राम जूड़ा करोड़ी पो 0 मेनवा थाना सहजनवा  
जनपद: गोरखपुर 273209

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रुबी देवी पुत्री अशोक कुमार  
अनुक्रमांक: 349769081  
निवासी: भुलभुलिया, पो0 बेल थाना फरखान  
वि0ख0 व तह0 लखीमपुर  
जिला लखीमपुर 261501

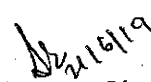
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रत्ना चौहान पुत्री महेन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक: 349763583  
निवासी: म0नं0 02 रेवती बिहार सेक्टर 14 इन्दानगर पो0 व थाना इन्दानगर  
जिला लखनऊ 226016

**विषय:-** उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

**प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ** को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ** परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ** को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रेखा चौधरी पुत्री महेश चन्द्र चौधरी  
अनुक्रमांक: 249763289  
निवासी: मं0नं0 1/211, रतन खण्ड शारदा नगर, लखनऊ  
जिला लखनऊ 226012

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रांनि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

24/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0 अंकिता पुत्री कमलेश कुमार  
अनुक्रमांक: 349763090  
निवासी: सी-78, कल्याणपुर शिवानी बिहार  
जिला लखनऊ 226022

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु.4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु.32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, भैरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आनन्द प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अभिन्न दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पॉव-111(उनि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

नेहा यादव पुत्री ओम प्रकाश यादव  
अनुक्रमंक: 149763926  
निवासी: 896 नरायनपुरी निकट शीला नैस गोदाम, मानसगगर,  
कृष्णनगर, जिला लखनऊ 226023

**विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम भा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचारधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखा की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।**

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बैसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 भेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टडिपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
21/6/19

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक

उत्तर प्रदेश

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

वैशाली सिंह पुत्री सर्वेश सिंह

अनुक्रमांक: 149763815

निवासी: ग्रा0 व पो0 औरावां थाना बंधरा तह0 सरोजनी नगर

जिला लखनऊ 226401

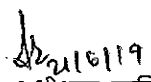
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रा0नि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

दिपिका पुत्री उमाशंकर दूबे

अनुक्रमांक: 133739771

निवासी: ग्र0 बुधनापार पो0 व थाना सिकरीगंज तह0 खजनी

जनपद: गोरखपुर 273213

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

सीतू श्रीवास्तव पुत्र धनश्यामलाल  
अनुक्रमांक: 233740391  
निवासी: ग्राम शिवराजपुर पो0 खजुरी बाबू थाना गगहा  
वि0ख0 कौडीसम तहसील बॉसगॉव  
जनपद: गोरखपुर 273412

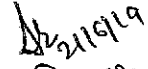
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कुमारी रितु पुत्र गोपाल  
अनुक्रमांक: 333743742  
निवासी: ग्राम नेकवार पो 0 जंगल रसूलपुर नं 02 थाना झगहा  
तह 0 चौरी चौरा जनपद: गोरखपुर 273203

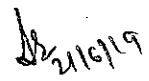
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

पल्लवी सिंह पुत्री अमर चन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक: 333740061  
निवासी: ग्रा0 व पो0 उनौला दोयम थाना पिपराईच  
जनपद: गोरखपुर 273152

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0नेहा शुक्ला पुत्री प्रेम नारायण शुक्ला  
अनुक्रमांक333743349  
निवासी: न्यू कालोनी काजकपुर पो0 रामपुर थाना खोराबार  
जनपद: गोरखपुर 273016

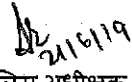
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

प्रीती श्रीवास्तव पुत्री अनिल कुमार श्रीवास्तव  
अनुक्रमांक 133740296  
निवासी: मं0नं0 780 एस मो0 जंगल तुल्सी राम बिछिया कुम्हार टोला  
वार्ड नं0 22 पो0 पीएसी कैम्प थाना शाहपुर  
जनपद: गोरखपुर 273014

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेंड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

भारती गुप्ता पुत्री राम सागर  
अनुक्रमांक: 133744095  
निवासी: ग्राम भिटहौ कुर्वर पो0 करमदेवा थाना सिकरीगंज  
जनपद: गोरखपुर 273211

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आईडी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- बरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

कु0अंजना शुक्ला पुत्री अयोध्या शुक्ला  
अनुक्रमांक: 133744060  
निवासी: ग्र0 सहसी पो0 हरदीचक थाना खजनी  
जनपद: गोरखपुर 273406

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

नेहा पाण्डेय पुत्री नरेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक: 133744082  
निवासी: ग्राम सुगौना पो 0 हरपुर बुदहट थाना हरपुर  
जनपद: गोरखपुर 273209

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य निशानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

शिल्पी पाण्डेय पुत्री राम कृष्ण पाण्डेय  
अनुक्रमांक: 303713452  
निवासी: ग्र0 महादेवा पो0 व थाना कोल्हुई  
जिला महाराजगंज 273309

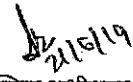
**विषय:-** उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, देवरिया को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

स्नेहा राय पुत्री प्रभुनाथ राय  
अनुक्रमांक: 333740583  
निवासी: ग्रा0 नैनपुर पो0 बहादुर पुर थाना तरिया सुजान  
जिला कुशीनगर 274409

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

नीतू देवी पुत्री बलवन्त राव  
अनुक्रमांक: 149759361  
निवासी: ग्रस0 गनेशपुर पो0 सरौरा कला थाना मानपुर  
जिला सीतापुर 261302

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रू 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रू 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

निहारिका सिंह पुत्री वीरेन्द्र कुमार सिंह यादव  
अनुक्रमांक: 349759574  
निवासीग्र0 गुजरेहटा पो0 असुवामऊ थाना संदना तह0 मिश्रिख  
जिला सीतापुर 261403

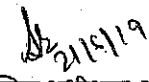
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

स्मृति वर्मा पुत्री सोमेश्वर सारन  
अनुक्रमांक: 349766084  
निवासी: गाँव व पो उरदौली थाना महोली  
जिला सीतापुर 261141

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

अकांक्षा सिंह पुत्री सुनील कुमार  
अनुक्रमांक: 349770920  
निवासी: बेहटा चौद लखनऊ रोड थाना कोतवाली नगर  
जिला हरदोई 241001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सार्यकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

अंशू मिश्रा पुत्री बृजमोहन मिश्रा  
अनुक्रमांक: 349769729  
निवासी: मो0 खाराकुआं कस्बा व पो0 पाली थाना पाली  
जिला हरदोई 241123

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

शिखा पाल पुत्री राकेश कुमार  
अनुक्रमांक: 349771288  
निवासी: इन्द्र नगर लखनऊ रोड थाना कोतवाली शहर  
जिला हरदोई 241001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

सीमा पाल पुत्र सर्वजीत  
अनुक्रमांक: 249770031  
निवासी: ग्र0 तकिया पो0 बहर थाना कोतवाली देहात  
जिला हरदोई 241001

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, हरदोई को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

शिल्पी देवी पुत्री विरेन्द्र कुमार  
अनुक्रमांक: 149765840  
निवासी: ग्र0 व पो0 भोजपुर थाना सरेनी, तह0 लालगंज  
जिला रायबरेली 229202

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

लक्ष्मी देवी पुत्री अम्बिका  
अनुक्रमांक:349758657  
निवासी: ग्र0 डूँडी पो0 भोजपुर थाना सरेनी  
जिला रायबरेली 229202

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0अ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

प्रतिष्ठा पाण्डेय पुत्री डी0 के पाण्डेय  
अनुक्रमांक: 279765383  
निवासी: विश्वास-09, एलडिको, रायबरेली रोड, थाना एस0जी0आई0  
जिला लखनऊ 226025

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)



**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

शिखा सांगवान पुत्री योगेन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक: 130731343  
निवासी: ग्रा0 साँकतपुठी पो0 अमीनगरसराय थाना चौदीनगर  
जिला बागपत 250609

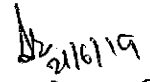
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / ₹ 4000 में एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः ₹ 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज

पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019

सेवा में,

प्रियांका यादव पुत्री सतीश कुमार यादव  
अनुक्रमांक: 330734605  
निवासी: ग्रा0 व पो0 सनौटा थाना गुलावठी  
जिला बुलन्दशहर 203205

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

रोकी रानी पुत्र विरेन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक 230738881  
निवासी: गांव नया बॉस माजरा महावतपुर गढ़ पो0 व थाना गुवावटी  
जिला बुलन्दशहर 203408

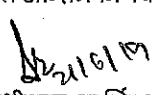
विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दें।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के दृष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

नेहा तब्सुम पुत्री निजामुद्दीन  
अनुक्रमिक 330739105  
निवासी: मो0 नई बस्ती देहली गेट कस्बा व थाना अनूपशहर  
जिला बुलन्दशहर 203390

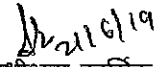
**विषय:-** उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

**प्रतिलिपि:-** वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

**प्रतिलिपि:-** पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

**प्रतिलिपि:-** संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

सुधा पुत्री हरवीर सिंह  
अनुक्रमांक: 330732092  
निवासी: ग्रा0 व पो0 इन्दौर खेड़ा थाना डिबाई  
जिला बुलन्दशहर 202392

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

मीनू पुत्री राजेन्द्र सिंह  
अनुक्रमांक: 355782611  
निवासी: ग्रा0 तरकरपुर लाढ़पुर थाना बी0बी0 नगर  
जिला बुलन्दशहर 245402

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टाइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उनि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

मीनू पुत्री मदनपाल सिंह  
अनुक्रमांक: 130734920  
निवासी: ग्रा0 व पो0 भटौना थाना गुलावटी  
जिला बुलन्दशहर 203408

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्राणि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्टैंडपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)

**उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय प्रयागराज**  
**पत्र संख्या:- पाँच-111(उ0नि0ना0पु0सी0भ0-2016)2019 दिनांक- जून 21 2019**

सेवा में,

पूजा सिंह राठौर पुत्री राधे कृष्ण सिंह राठौर  
अनुक्रमांक: 243755634  
निवासी: ग्र0 व पो0 अकबाबाद थाना बीघापुर  
जिला उन्नाव 229506

विषय:- उपनिरीक्षक ना0पु0(पुरुष/महिला) सीधी भर्ती- 2016 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन रिट याचिका संख्या:- 16160/2018 शिवकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन चिकित्सा परीक्षण, अभिलेखों की संवीक्षा व चरित्र सत्यापन में उपयुक्तता के आधार पर पर चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ भेजे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक- प्रानि0-प-237/2019 दिनांक 21.06.2019 द्वारा सीधी भर्ती वर्ष 2016 से सम्बन्धित चयनित उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर चयन के पश्चात बेसिक प्रशिक्षण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान आवंटित कर आधारभूत प्रशिक्षण कराये जाने हेतु पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ में दिनांक 24.06.2019 से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। आप आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 23.06.2019 को सायंकाल तक अपने आगमन की सूचना दे।

आप अपने साथ समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्र/ अन्य प्रमाणपत्रों की मूल प्रति, फोटो आई0डी0 एवं पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज 10 फोटो / रु 4000 मेस एडवांस, पहनने के वस्त्र, बिस्तर आदि लेकर जायेंगे तथा इन्हें प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि आप एक माह के अन्दर प्रशिक्षण हेतु बिना किसी औचित्य/ अनुमति के उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका चयन/ अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर इस सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप -1 एवं 2 में क्रमशः रु 32/- एवं 42/- के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर तथा नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र अपने साथ लेकर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। प्रशिक्षण के मध्य नियमानुसार स्ट्राइपेण्ड प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त की समस्त कार्यवाही चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या:-210/2019 सतेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या:- 6540/SS/2019 में एकल न्यायाधीश के पारित होने वाले तथा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

21/6/19  
अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक  
नि0 पुलिस अधीक्षक कार्मिक  
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ/ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उक्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु अपने स्तर से सूचित करते हुये इस पत्र की एक प्रति उसे हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर उसके प्राप्ति का दिनांक सहित हस्ताक्षर प्राप्त कर कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक/ उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ को दिनांक 24.06.2019 से प्रारम्भ होने वाले प्रशिक्षण के द्रष्टिगत सूचनार्थ एवं त्वरित कार्यवाही हेतु।

प्रतिलिपि:- संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, मेरठ को उक्त अभ्यर्थी की मूल पत्रावली संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया अनुरोध है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभ्यर्थी की फोटोग्राफ से उसका मिलान करा लिया जाये। यदि किसी प्रकार की कोई भिन्नता/ प्रतिकूलता पाई जाती है तो उक्त अभ्यर्थी की आमद प्रशिक्षण संस्थान में न किया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराते हुये अग्रिम दिशानिर्देश प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

**संलग्नक- मूल पत्रावली (समस्त अभिलेखों सहित)**